'kklukns'k la[;k & **824/XXIV(1)/2013-824/2012**

f'k{kk vuqHkkx&1¼csfld½ nsgjknwu 23 tuojh 2013

fo"k;% f'k{kk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2009 ds iLrj&24 ds vuqikyu esa d{kk 1 ls 8 rd v/;;ujr fo|kfFkZ;ksa ds vis{kr vf/kxe Lrj ds vkdyu ds lEcU/k esaA

प्रारम्भिक स्तर पर विद्यार्थियों के अपेक्षित अधिगम स्तर (Learning Level) प्राप्त करने एवं पूरक शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रस्तर–24 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य में प्रारम्भिक स्तर शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्धारित कार्ययोजना तैयार करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है–

01– राज्य में RTE Act 2009 के लागू होने के पश्चात् विद्यालयों में प्रारम्भिक स्तर तक (कक्षा 1 से 8 तक) बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गयी हैं, तथा साथ ही प्रारम्भिक कक्षाओं में किसी भी बच्चे को एक शैक्षिक वर्ष से अधिक उसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा। किसी भी बच्चे को अंकों के आधार पर किसी कक्षा में नहीं रोका जायेगा तथा शैक्षिक सत्र में प्रवेश हेतु कोई समय सीमा नहीं रखी जायेगी। अधिनियम में व्यवस्था दी गयी है कि विद्यालयों में देर से प्रवेश लेने या अधिक आयु वाले बच्चों को आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा तथा विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से आयु विशेष कक्षा के लिए तैयार किया जायेगा। प्रत्येक बच्चे की अपेक्षित अधिगम की सम्प्राप्ति सुनिश्चित हो सके इस हेतु बाल केन्द्रित गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण की व्यवस्थायें राज्य स्तर पर की गई हैं।

विभागीय स्तर पर देखे गये परिणामों एवं वाह्य संस्थाओं के सर्वेक्षण के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि प्रारम्भिक स्तर पर विषयगत सम्बोधों का अधिगम स्तर अभी भी विशेषतः भाषा एवं गणित में अत्यधिक न्यून है। अधिनियम की /kkjk **24(1)D** में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता भिन्न–भिन्न होती है इसलिए एक निर्धारित समय एवं औपचारिक कक्षा शिक्षण में अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त न कर सकने वाले बच्चों के लिए पूरक शिक्षण की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। जिससे बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार हो सके। प्रत्येक विद्यालय के सभी छात्रों के अधिगम स्तर को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम की /kkjk **24** में प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये हैं।

अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों में बच्चों के आंकलन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनायी जाय। प्रदेश में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया का परीक्षण किया जा रहा है तथा यथाशीघ्र एक प्रक्रिया को अन्तिम रूप देकर प्रदेश के समस्त विद्यालयों में लागू किया जायेगा। यद्यपि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन में मुख्यतः Formative Assesment को आधार बनाया गया है लेकिन Summative Assesment (मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन) के आधार पर मूल्यांकन को पूर्णतः नकारा नहीं गया है। राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है जो कि विद्यार्थियों के अपेक्षित अधिगम स्तर के साथ–साथ पूरक शिक्षण सम्बन्धी कार्य योजना को निरन्तर क्रियान्वित कर गतिशील रखें।

अधिनियम के धारा 29 में निर्धारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के मानकों पर नजर डाले तो यह भी क्रमश संवैधानिक मूल्यों के साथ सुनिश्चितता, बच्चों के ज्ञान एवं क्षमता का सर्वांगीण विकास, जहाँ तक सम्भव हो बच्चों की मातृभाषा में शिक्षण कार्य, बच्चों को सभी प्रकार के डर, भय, परेशानी से मुक्त रखना एवं उन्हें अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रेरित करने की बात की गई है इसके अतिरिक्त बच्चों के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू करने की बात की गई है ताकि उनके ज्ञान एवं समझ का अधिकाधिक उपयोग करते हुए उनके दैनिक जीवन में इसका क्रियान्वयन कर सके। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में न सिर्फ सिखाये गये ज्ञान का मूल्यांकन हो बल्कि बच्चों के परिवेशीय, परिवारिक पृष्ठभूमि एवं अन्य मौलिक ज्ञान का भी मूल्यांकन किया जाय।

vkfpR; ,o vko';drk

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के आलोक में प्रत्येक विधार्थी की सतत् एवं व्यापक स्तर पर अधिगम सम्प्राप्ति हेतु निरन्तरता तथा पूरक शिक्षण के क्षेत्रों की पहचान कर बाल केन्द्रित एवं गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर से नीति निर्धारण किये जाने की आवश्यकता है। जिससे कि विद्यार्थियों के शैक्षिक अधिगम सम्प्राप्ति के प्रति राज्य के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के साथ–साथ अकादमिक संस्थाओं एवं विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जा सके। इस पद्धति द्वारा जहॉ एक ओर शिक्षकों एवं सम्बन्धित संस्थाओं के मूल्यांकन का आधार क्रमशः विधार्थियों, विद्यालय एवं जनपदों के शैक्षिक सम्प्राप्ति पर निर्धारित किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य में समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण–अधिगम सुनिश्चित करने हेतु प्रतिवर्ष राज्य के शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर के आकलन एवं स्तर का भी पता चलता रहेगा तथा तद्नुरूप सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे।

उक्त के आलोक में जब तक सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्णतः लागू नहीं हो जाती है प्रदेश में प्रारम्भिक स्तर के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण–अधिगम सुनिश्चित हो सके एवं उनका अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है, जिसे कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू होने पर इस प्रक्रिया का एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा।

03&iLrkfor dk;l;ktuk%

प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन/आंकलन प्रत्येक विद्यालय में दो चरणों में किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक बच्चा अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कर सके।

- अधिगम स्तर का आंकलन राज्य स्तर पर प्राथमिक कक्षाओं हेतु कक्षानुसार हिन्दी, अंग्रेजी, गणित एवं हमारा परिवेश विषयों के लिए निर्धारित संकेतकों/सम्बोधों के आधार पर किया जायेगा जो कि समस्त विद्यालयों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

- उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिगम स्तर का आंकलन अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विषय में विद्यालयों को उपलब्ध कराये जा रहे निर्धारित संकेतकों/सम्बोधों के आधार पर किया जायेगा।

- प्रथम चरण में शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों एवम् विद्यालय का स्वःमूल्यांकन vDVwcj ekg ds r`rh; lIrkg तक किया जायेगा जिसके लिए दिये गये संकेतकों के अनुरूप टूल विद्यालय स्तर पर ही बनाया जायेगा। इस प्रकार किये गये मूल्यांकन/आंकलन के बाद शिक्षक के द्वारा स्वयं विद्यालय को रेटिंग स्केल पर किसी एक ग्रेड पर रखा जायेगा। इसके लिए बच्चों के अधिगम स्तर के परिणामों का 80% तथा भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का 20% सम्मिलित किया जायेगा।

- प्रथम चरण के मूल्यांकन के समय इस वर्ष के लिए 30% Formative तथा 70% Summative assessment किया जायेगा तथा अगले वर्ष से पूर्णतः सी0सी0ई0 पर आधारित assessment किया जायेगा। Summative assessment में 50% सम्बोध विगत वर्ष के तथा 50% सम्बोध वर्तमान वर्ष के रखे जायेंगे।

- भौतिक संसाधनों की उपलब्धता से सम्बन्धित टूल राज्य स्तर से SPO/SCERT/DIET के समन्वयन से तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

- स्वःमूल्यांकन का विश्लेषण शिक्षक के द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त न कर सकने वाले बच्चों को पुनः उनके स्तर के अनुरूप सूचीबद्ध किया जायेगा। इस प्रकार सूचीबद्ध किये गये बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय 31 जनवरी तक दिन प्रतिदिन के आधार पर सुधारात्मक उपाय करेंगे। पूरक शिक्षण विद्यालय समयावधि में कक्षा के अन्य बच्चों के साथ ही सम्पन्न कराया जाएगा तथा समय–समय पर बच्चे की प्रगति को निर्धारित प्रपत्र/पंजिका में दर्शाया जायेगा।

- प्रत्येक विद्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि विद्यालय की ग्रेडिंग एवं प्रत्येक विषय में अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने वाले तथा न कर सकने वाले विद्यार्थियों का संख्यात्मक fooj.k **ABCD ,0 E Scale** ds vuqlkj संकुल समन्वयक को 03 दिन के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

- प्रथम चरण के मूल्यांकन के बाद संकुल स्तर पर सभी विद्यालयों की रेटिंग/ग्रेडिंग शिक्षा विभाग के वेब.पोर्टल/डाटा बेस पर संकुल समन्वयक के द्वारा 03 दिन में अपलोड/अंकित की जायेगी जिसका विश्लेषण जनपद स्तर पर DIET के द्वारा तथा राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा किया जायेगा। राज्य स्तर पर किए गए विश्लेषण की आख्या तैयार कर महानिदेशक शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जाएगी। जब तक विभागीय वेब पोर्टल तैयार नहीं होता है तक डाटा बेस प्रारूप तैयार सम्बन्धित स्तरों पर ऑफ लाइन डाटा अंकित किया जाएगा।

- प्रथम चरण में किये गये स्वःमूल्यांकन के बाद द्वितीय चरण का मूल्यांकन 03 माह बाद अन्य विभागों के समन्वयन से सी0आर0सी0/ब्लॉक रिसोर्स पर्सन/समस्त शिक्षा अधिकारी/डायट प्राचार्य एवं प्रवक्ता/ सीमैट/ एस0पी0ओ0/ शिक्षा निदेशालय/ एस0सी0ई0आर0टी0 के अधिकारियों एवं अन्य शैक्षणिक कार्य से सम्बन्धित अभिकर्मियों के द्वारा किया जायेगा।

- द्वितीय चरण के मूल्यांकन के लिए टूल SCERT/SPO/DIET द्वारा विकसित किया जायेगा तथा मूल्यांकन में सम्मिलित किये जाने वाले समस्त अधिकारियों/अभिकर्मियों को प्रक्रिया की जानकारी के लिए एक दिन का अभिमुखीकरण (Orientation)/Briefing की जायेगी।

- द्वितीय चरण के मूल्यांकन के लिए संकुल समन्वयक द्वारा संकुल स्तर के समस्त विद्यालयों का मूल्यांकन किया जायेगा। अधिगम स्तर के आंकलन के लिए प्राथमिकता के आधार पर **A ,0 E** J.kh e j[k गये बच्चों का मूल्यांकन अवश्य किया जायेगा।

- ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समन्वयक एवं अकादमिक रिसोर्स पर्सन 10%/विद्यालयों तथा जनपद स्तर से (DIET, DPO, DEO, CEO) 5% विद्यालयों का संकुल समन्वयक के मूल्यांकन/आंकलन के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों का मूल्यांकन/आंकलन करेंगे। राज्य स्तर से SIEMAT, SPO, SCERT, Director School Education के द्वारा प्रत्येक जनपद में 10 विद्यालयों का मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए परस्पर जनपदों/विद्यालयों का आवंटन किया जायेगा जिससे सभी जनपदों में विद्यालयों का परीक्षण किया जा सके। डायट हेतु द्वितीय चरण के मूल्यांकन/आंकलन का कार्य उनके विभागीय मूल कार्यो के अतिरिक्त होगा।

- मण्डल स्तर पर भी मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक आकस्मिक रूप से विद्यालयों में अध्यापक के द्वारा किये गये स्वःमूल्यांकन एवं उसके बाद किये गये सुधारात्मक उपायों के आंकलन के लिए द्वितीय चरण के मूल्यांकन में सम्मिलित होंगे।

- निदेशालय स्तर से निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक भी इस मूल्यांकन में सम्मिलित होंगे।

- शासन स्तर से प्रमुख सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा एवं अपर सचिव भी द्वितीय चरण के मूल्यांकन में सम्मिलित होंगे।

- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी द्वितीय चरण के मूल्यांकन अवधि में डायट/संकुल समन्वयकों/ब्लॉक समन्वयकों/शिक्षा अधिकारियों के समन्वयन से सुविधानुसार . विद्यालयों का मूल्यांकन करेंगे।

- प्रत्येक स्तर तक एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा विकसित एवं शासन द्वारा अनुमोदित टूल तथा आंकलन प्रारूप सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के मूल्यांकन के टूल दो वर्षों तक सम्बन्धित विद्यालयों में सुरक्षित रखे जायेंगे।

- द्वितीय चरण के मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों को संकुल समन्वयक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन की तिथि को ही विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड /डाटा बेस तैयार करना होगा।

- किसी भी स्तर पर विलम्ब किये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा।

- द्वितीय चरण के मूल्यांकन के परिणाम अपलोड होने पर राज्य MIS Cell के द्वारा SCERT/SPO के समन्वयन से राज्य स्तर पर विश्लेषण किया जायेगा। द्वितीय चरण के मूल्यांकन के परिणामों की तुलना स्वःमूल्यांकन के परिणामों से की जायेगी तथा द्वितीय चरण के मूल्यांकन को वरीयता देते हुए विद्यालय को ग्रेडिंग/रेटिंग दी जायेगी।

- राज्य स्तर पर किए गए विश्लेषण के आधार पर विद्यालयों की ग्रेडिंग आख्या को प्रकाशित किया जाएगा तथा उक्त आख्या समस्त विद्यालयों, संकुल, ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तर पर वितरित की जाएगी।

- द्वितीय चरण के मूल्यांकन के समय विभिन्न अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों एवं निर्देशों के आधार पर सम्बन्धित अध्यापकों, शिक्षा अधिकारियों एवं शैक्षिक संस्थानों को सुधार हेतु उचित दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे। साथ ही सम्बन्धित विद्यालय को दिए गए सुझावों के आधार पर fo|ky; fodkl ;kstuk तैयार कर सुधार हेतु कार्य करेंगे।

- प्रथम एवं द्वितीय चरण के मूल्यांकन के बाद प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर का साझा (Sharing) विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं अभिभावकों के साथ–साथ विभागीय अभिकर्मियों/अधिकारियों (संकुल/ब्लॉक समन्वयकों, डायट एवं राज्य स्तर पर उच्चाधिकारियों) के साथ अनिवार्यतः किया जायेगा।

- प्रथम एवं द्वितीय चरण के eY;kadu@vkdyu gsrq vko';d ,oa iklafxd fn'kk funsZ'k le;kUrxZr lHkh Lrjksa ij izlkfjr fd;s tkus dk mRrjnkf;Ro funs'kd ikjfEHkd f'k{kk का होगा।

04– शैक्षिक सत्र में अधिगम स्त्र आंकलन हेतु समय सारणी का विवरण प्रस्तर–10 में उल्लेखित किया गया है।

05– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु कार्य विभाजन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रधानाध्यापकों के कार्य एवं दायित्व, कक्षानुसार शैक्षिक सम्प्राप्ति हेतु विषयानुसार संकेतक भी संलग्न कर उपलब्ध कराये गये हैं जिनका विवरण निम्नवत् है–

vuqJo.k ,oa eY;kadu gsrq dk;Z foHkktu

Ø0 l0	fooj.k	mÙkjnkf;Ro
01	विषय आधारित संकेतकों के आधार पर विद्यार्थियों का स्वमूल्यांकन।	अध्यापक/प्रधानाध्यापक
02	स्वमूल्यांकन के विश्लेषण के आधार पर पूरक शिक्षण की व्यवस्था संकुल के अन्तर्गत समस्त विद्यालयों का स्वमूल्यांकन डाटावेस तैयार कर डायट को उपलब्ध कराना।	संकुल समन्वयक

03	डाटा वेस का जनपद स्तर पर विश्लेषण एवं रिर्पोट तैयार करना।	डायट / डी0आर0सी0
04	डाटा वेस का विश्लेषण के आधार पर पूरक शिक्षण हेतु कार्ययोजना एवं सी0आर0सी0 / बी0आर0सी0 को आवश्यक अनुसमर्थन।	डायट / सी0आर0सी
05	डाटा वेस का राज्य स्तर पर विश्लेषण एवं रिर्पोट तैयार करना।	एस0सी0ई0आर0टी0
06	जनपद स्तर पर विद्यालयों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण।	सी0इ0ओ0,डी0ई0ओ0,बी0ई0ओ0, डायट,बी0आर0सी0,सी0आर0सी0
07	द्वितीय चरण का मूल्यांकन हेतु टूल निर्माण।	एस0सी0ई0आर0टी0
08	द्वितीय चरण के मूल्यांकन हेतु टूल मुद्रण एवं वितरण।	सर्व शिक्षा अभियान
09	राज्य स्तर पर मूल्यांकन रिर्पोट का प्रकाशन एवं शेयरिंग।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं एस0एस0ए0
10	राज्य स्तर पर अनुश्रवण निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, एस0एस0ए0, स0सी0ई0आर0टी0

06& i/kkuk/;kid viu fo|ky;k e fuEufyf[kr dk;l ,o nkf;Rok dk fuoZgu djx &

1. प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक, आर0टी0ई0 अधिनियम, 2009 में दिये गये प्राविधानों के तहत समय–समय पर विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक बुलायेंगे तथा इस बैठक में बच्चों की उपस्थिति की नियमितता, बच्चों के सीखने की क्षमता, सीखने की प्रगति आदि की आवश्यक जानकारी, माता–पिता / अभिभावक को देंगे तथा छात्र की प्रगति में सहयोग पर चर्चा करेंगे।

2. प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक, अध्यापकों, छात्रों, परिसम्पत्तियों, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्तियाँ आदि से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव करेंगे / करवायेंगे तथा विद्यालय प्रबन्धन समिति, उच्चाधिकारियों आदि द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे।

3. सभी अध्यापकों के मध्य उनकी योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप समयसारिणी सहित कार्य वितरण करेंगे।

4. समय–समय पर आहूत बैठकों तथा प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे।

5. विद्यालय में उपलब्ध मानव तथा भौतिक संसाधनों का छात्रहित में अधिकतम उपयोग करेंगे।

6. उच्चाधिकारियों से समन्वयन स्थापित करेंगे।

7. विद्यालय की समस्त गतिविधियों का अनुश्रवण करेंगे तथा पारदर्शिता से कार्यों का निर्वहन करेंगे।

8. प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने वाले हर बच्चे को निर्धारित तरीके और प्रारूप पर प्रमाण–पत्र प्रदान करेंगे।

07& f'k{kk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2009 d vkykd e v/;kidk d dk;l ,o nkf;Ro %&

विद्यालय के सुचारूरूप से संचालन हेतु अध्यापक निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व सम्पादित करेंगेः–

1. स्कूल में नियमित रूप से, समय की पावंदी के साथ अपनी उपस्थिति बनाये रखेंगे।
2. आर0टी0ई0 अधिनियम के खण्ड 29 उपखण्ड 2 के प्राविधानों के मुताबिक पाठ्यक्रम को चलायेंगे तथा पूरा करेंगे।
3. निर्दिष्ट समयावधि में समूचा पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।
4. हर बच्चे के सीखने की क्षमता का आकलन करते हुए जरूरत पड़ने पर उसे अतिरिक्त शिक्षण प्रदान करेंगे।
5. माता–पिता या अभिभावकों के साथ नियमित बैठक आयोजित करेंगे ताकि बच्चों की उपस्थिति की नियमितता, सीखने की क्षमता, सीखने की प्रगति और आवश्यक जानकारी उन्हें दी जा सके।
6. विद्यालय स्तर पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति/गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व समस्त शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक का होगा।
7. विद्यालय में बच्चों के अधिगम स्तर के नियमित अनुश्रवण का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक तथा कक्षाध्यापक/विषयाध्यापकों का होगा। तद्नुसार विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भी सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।
8. प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों के मूल्यांकन/आकलन का उत्तरदायित्व स्वयं शिक्षक का होगा। यह आकलन प्रत्येक बच्चे हेतु सतत् एवं व्यापक होगा। ऐसे बच्चों जो कि अपेक्षित अधिगम स्तरों को प्राप्त नहीं कर पायेंगे हेतु शिक्षकों को उत्तरदायी माना जायेगा।
9. प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक बच्चे का संचयी अभिलेख व्यवस्थित करेगा जो कि अधिनियम की धारा–30 की उपधारा–2 में वर्णित प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र का आधार होगा।
10. अध्यापक नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, प्रशिक्षण मॉडयूल्स तथा टी0एल0एम0 विकसित करने हेतु संकुल संसाधन केन्द्र/विकासखण्ड संसाधन केन्द्र/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में विद्यालय के शैक्षणिक क्रियाकलापों को निरन्तर बाधित किये बिना प्रतिभाग करेगा।
11. कोई भी अध्यापक बच्चों को अनुशासित करने के लिए बच्चे को शारीरिक दण्ड तथा मानसिक रूप से उत्पीड़ित नहीं करेगा।
12. प्रत्येक बच्चे को उपयुक्त अधिगम वातावरण प्रदान करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा।

13. एक शैक्षिक सत्र में 220 कार्य दिवस तथा 1000 शिक्षण घण्टे (Instructional hours) विद्यालय संचालित करना होगा।

14. प्रति सप्ताह 45 शिक्षण घण्टे, जिसके अन्तर्गत् तैयारी घण्टे भी सम्मिलित हैं, शिक्षण कार्य करना होगा।

15. किसी भी बच्चे के साथ जाति, लिंग, क्षेत्र, धर्म तथा भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

16. बच्चों में अपेक्षित मानव मूल्यों को विकसित करेगा।

17. शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा।

18. कोई भी अध्यापक प्राईवेट टयूशन में संलिप्त नहीं होगा।

19. बच्चे में संविधान के निहित मूल्यों का विकास करेगा।

20. बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम् सीमा तक विकास करेगा।

21. बाल केन्द्रित तथा बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करेगा।

22. बच्चे को भय, सदमा और चिन्तामुक्त वातावरण देगा तथा उसे अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनायेंगे।

23. बच्चे के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरन्तर मूल्यांकन करेंगे।

24. आवश्यक होने पर बच्चे को उसकी मातृभाषा में पाठ समझायेंगे।

25. इसके अतिरिक्त जो भी उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा उसका निर्वहन करेंगे।

26. उपर्युक्त कार्यों को करने में यदि कोई शिक्षक चूक करता है या उन्हें पूरा नहीं करता है तो उस पर लागू होने वाले सेवानियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

08& उक्त व्यवस्था अगले शैक्षिक सत्र 2013–14 से लागू होगी। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2012–13 के शेष अधिगम स्तर का आंकलन बेसिक शिक्षा निदेशालय, राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के परस्पर परामर्श के उपरान्त इस भांति करवायेंगे कि अगले शैक्षिक सत्र 2013–14 के प्रारम्भिक महीनों में यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाय।

09– कक्षानुसार शैक्षिक सम्प्राप्ति हेतु विषयानुसार संकेतक

कक्षा	हिन्दी	गणित	अंग्रेजी	परिवेशीय अध्ययन
1	• वर्णमाला अ से ज्ञ तक पढ़ना, लिखना एवं बोलना। • छोटी–छोटी कविता सुनाना। • अ तथा आ की मात्रा के दो अक्षरों के शब्दों को पढ़ना, लिखना।	• 1 से 100 तक की संख्याओं को पहचाना, पढ़ना, गिनना एवं लिखना। • एक अंकीय संख्याओं का जोड़ना एवं घटाना। • 1 से 100 तक के सिक्कों तथा नोटों की पहचान।	• A to Z तक की वर्णमाला को बोलना, लिखना एवं पहचानना। • अंग्रेजी की छोटी कविताओं को सुनाना।	• परिवेश के फल, सब्जी, फूलों, पशु–पक्षी, पेड़– पौधों के नाम बताना।

कक्षा	हिन्दी	गणित	अंग्रेजी	परिवेशीय अध्ययन
2	• मात्राओं की पहचान। • विभिन्न मात्राओं वाले शब्दों को पढ़ना एवं लिखना। • कहानी एवं कविता सुनाना। • वाक्यों में शब्दों को पहचानना। • पाठ्यपुस्तक के पाठों का वाचन करना।	• 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखना एवं पढ़ना। • इकाई, दहाई एवं सैकड़े के रूप में संख्याओं लिखना एवं पढ़ना। • सम एवं विषम संख्याओं को लिखना पढ़ना एवं पहचानना। • तीन अंकीय संख्याओं का जोड़ एवं घटाना (हासिल सहित)। • 1 से 10 तक के पहाड़े बोलना, पढ़ना एवं लिखना। • स्थानीय वस्तुओं की ज्यामितीय आकृतियों की पहचान।	• a to z तक की वर्णमाला को बोलना, लिखना एवं पहचानना। • अंग्रेजी की कविताओं को सुनाना। • Action word (Come in, Sit Down, Thank you, Welcome) को बोलना एवं समझना। • Fruits, Vegetable, Flowers, Birds, Animals आदि के पाँच–पाँच नाम सुनाना। • छोटे–छोटे अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना एवं लिखना।	• बच्चों के घर परिवार, नाते–रिश्तों, विद्यालय परिवेश के बारे में जानकारी। • गाँव एवं अपने आस–पास की जानकारी रखना।
3	• छोटे–छोटे श्रुतिलेख लिखना। • वाक्यों का निर्माण करना। • पाठ्यपुस्तक के पाठों को पढ़ना। • छोटे वाक्यों की कहानी एवं कविता लिखना। • छोटे संयुक्ताक्षर लिखना एवं पढ़ना। • लोकगीत एवं स्थानीय कहानियों को सुनाना।	• चार अंकीय संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना। • स्थानीय मान निकालना। • चार अंकीय संख्याओं का जोड़ एवं घटाना। • दो अंकीय संख्याओं का गुणा एवं भाग। • 1 से 15 तक पहाड़ों को बोलना एवं लिखना। • समान हर वाली भिन्नों का जोड़ एवं घटाना। • रूपये, पैसों का जोड़। • ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप।	• किताब में दिये गये पाठों को पढ़ना। • अपने तथा परिवार के सदस्यों के नाम अंग्रेजी में पूर्ण वाक्य के साथ बताना। • किताब में दिये गये शब्दों के अर्थ बताना। • सप्ताह के दिनों, महीनों के नाम अंग्रेजी में लिखना एवं बोलना। • Fruits, Vegetable, Flowers, Birds, Animals आदि के पाँच–पाँच नाम लिखना एवं पढ़ना।	• आस–पास के पेड़–पौधों, वन, जल, कृषि आदि के बारे में जानकारी। • भोजन एवं मौसम की जानकारी। • पानी एवं वर्षा जल के उपयोग एवं संरक्षण की जानकारी। • व्यक्तिगत एवं विद्यालय की स्वच्छता। • स्थानीय त्यौहार एवं मेलों की जानकारी।
4	• पाठ्यपुस्तक एवं अन्य पुस्तकों को सस्वर पढ़ना। • चित्रों को देखकर वाक्य निर्माण करना एवं लिखना। • कविता एवं कहानी बनाना, सुनाना एवं लिखना। • सुलेख एवं श्रुतिलेख लिखना।	• पाँच अंकीय संख्याओं को लिखना, पढ़ना, जोड़, घटाना (हासिल सहित)। • चार अंकीय संख्याओं का गुणा, गुणक एवं गुणनफल। • चार अंकीय संख्याओं का भाग, भाजक, भाज्य, शेषफल एवं भागफल। • भिन्नों का जोड़।	• पाठ्यपुस्तक को पढ़ना। • Noun and Verb का ज्ञान। • अंग्रेजी के छोटे–छोटे वाक्य बनाना। • Parts of Body के बारे में जनना व लिखना। • अंग्रेजी में छुट्टी लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना।	• पैड–पौधों और जीव–जन्तुओं में सम्बन्धों एवं उपयोगिता की जानकारी। • भोजन, स्वच्छता एवं प्रदूषण के बारे में जानकारी। • यातायात एवं संचार के संसाधनों की जानकारी। • राज्य एवं राष्ट्रीय

कक्षा	हिन्दी	गणित	अंग्रेजी	परिवेशीय अध्ययन
	• विलोम एवं समानार्थी शब्दों की जानकारी। • विभिन्न शीर्षकों पर 10 वाक्यों का निबन्ध लिखना।	• रूपये पैंसे का जोड़। • मापन– लंबाई, वजन का जोड़ एवं घटाना। • समय का जोड़ एवं घटाना। • वृत्त एवं कोण की समझ। • आँकड़ों का ज्ञान। • 1 से 15 तक के पहाड़े सुनाना एवं लिखना।		प्रतीक चिह्नों की जानकारी। • स्थानीय मेलों, त्यौहारों, रीति–रिवाजों की जानकारी।
5	• पुस्तक का प्रवाह के साथ सस्वर वाचन करना। • सामान्य शीर्षकों पर अनुच्छेद लिखना। • सुलेख, श्रुतिलेख, पत्र, प्रार्थना पत्र लिखना। • पर्यायवाची, विलोम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण शब्दों को पहचाना एवं वाक्य निर्माण करना। • सरल मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य निर्माण करना। • पूर्ण विराम, अर्द्ध विराम, प्रश्न वाचक चिह्नों का प्रयोग एवं जानकारी। • चित्रों, घटनाओं पर निबन्ध लिखना। • कहानी, कविता बनाना।	• 6 से 8 तक के अंकों की संख्याओं को लिखना एवं पढ़ना, जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग की विधि को जानना। • भिन्नों का जोड़ना, घटना, गुणा एवं भाग। • दशमलव का जोड़ घटाना। • भिन्नों का दशमलव एवं दशमलव का भिन्न में परिवर्तन करना। • घन, घनाभ, बेलन, शंकु के शीर्ष एवं तलों की जानकारी। • वृत्त एवं कोण का निर्माण करना।	• Cursive Writing • Small Paragraph • Poem, Song, Story, को बोलना एवं लिखना। • पाठ्यपुस्तक को पढ़ना। • Noun and Verb का प्रयोग करना। • अंग्रेजी की छोटी कहानियां लिखना। • अंग्रेजी में छुट्टी लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना। • Parts of Speech, opposite words, Simple translation. • किसी विषय पर अंग्रेजी में निबंध लिखना। • विद्यालय एवं स्थानीय वस्तुओं का अंग्रेजी में नाम बोलना एवं लिखना।	• परिवार, वृक्ष, प्रवास, पलायन एवं पुर्नवास की जानकारी। • जल एवं जंगल का संरक्षण एवं उपयोग। • आपदा की जानकारी एवं उसके बचाव। • पोषण एवं कुपोषण की जानकारी। • सिचाई के साधनों की जानकारी। • जैविक एवं अजैविक कूड़े के निस्तारण की जानकारी। • सार्वजनिक संपति के उपयोग की समझ। • संचार के तरीकों, ई–मेल, एस0एम0एस0 आदि की जानकारी। • स्थानीय रीति रिवाजों एवं त्यौहारों की जानकारी।

10& 'kf{kd l= e/; vf/kxe Lrj vkdyu gsrq le; lkj.kh

Øe l0	dk;Øe	le;kof/k
	iFke pj.k	
01	अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का स्वमूल्यांकन	15 अक्टूबर तक
02	अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के स्वमूल्यांकन के प्रारूप का संकुल स्तर पर उपलब्ध कराना एवं डाटा बेस तैयार करना।	20 अक्टूबर तक
03	संकुल समन्वयक द्वारा समस्त विद्यालयों का मूल्यांकन/आंकलन	30 अक्टूबर तक

	कर डाटा बेस डायट को उपलब्ध कराना	
04	जनपद स्तर पर डायट द्वारा स्वमूल्यांकन का विश्लेषण एवं डाटा बेस तैयार करना ।	10 नवम्बर तक
05	राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा स्वमूल्यांकन का विश्लेषण एवं डाटा बेस तैयार करना ।	30 नवम्बर तक
06	अध्यापकों द्वारा पूरक शिक्षण	15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक
	f}rh; pj.k&i;o{k.k eY;kdu@vkdyu	
01	एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा आंकलन हेतु टूल एवं प्रारूप तैयार करना।	30 अक्टूबर तक
02	संकुल समन्वयक द्वारा समस्त विद्यालयों का मूल्यांकन/आंकलन करना।	15 जनवरी से 15 फरवरी तक
03	विकास खण्ड स्तर द्वारा दस प्रतिशत विद्यालयों का मूल्यांकन/ आंकलन करना।	15 जनवरी से 15 फरवरी तक
04	जनपद स्तर द्वारा पाँच प्रतिशत विद्यालयों का मूल्यांकन/ आंकलन करना।	15 जनवरी से 15 फरवरी तक
05	मण्डल स्तर द्वारा पाँच–पाँच विद्यालयों का मूल्यांकन/ आंकलन	15 जनवरी से 15 फरवरी तक
06	राज्य स्तर द्वारा प्रत्येक जनपद के 10 विद्यालयों का मूल्यांकन/ आंकलन	15 जनवरी से 28 फरवरी तक
07	प्रत्येक स्तर पर किए गए मूल्यांकन/ आंकलन की डाटा बेस अंकना	मूल्यांकन के अन्तिम दिन।
08	जनपद एवं राज्य स्तर द्वारा द्वितीय चरण के आंकलन का विश्लेषण	31 मार्च तक
09	द्वितीय चरण के आंकलन के आधार पर विद्यालय प्रबन्धन समिति,संकुल, ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तर पर ग्रेंडिग शेयरिंग	30 अप्रैल तक
10	अध्यापकों द्वारा द्वितीय मूल्यांकन के आधार पर पूरक शिक्षण	01 अप्रैल से 25 मई तक
11	राज्य स्तर द्वारा विश्लेषण के पश्चात आख्या का प्रकाशन	30 जून तक